

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 7(6) निपसिड/नई दिल्ली/प्रशि./आईसीडीएस/16 24

जयपुर, दिनांक: 11/11/19

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2019 से 23 जनवरी, 2019 तक आयोजित "अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी सेवाओं के कार्मिकों हेतु विकेंद्रीकृत आयोजना प्रबंधन और मॉनीटरिंग तंत्रों पर क्षमता निर्माण" पर कुशलता प्रशिक्षण में निम्नांकित अधिकारियों को नामांकित कर प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं, कि वे विलम्बतन दिनांक 21.01.2019 को प्रातः 9:00 बजे तक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), इन्सीट्यूट नं. 87, गुरुद्वारा के पास, सेक्टर- 79, एस.ए.एस. नगर, मौहाली-140308, पंजाब में आवश्यक रूप से उपस्थिति दें।

1. श्री महेश शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, लवाण (दौसा)
2. श्री जुबेर चिश्ती, बाल विकास परियोजना अधिकारी, झाडोल (उदयपुर)
3. श्री महेश चन्द गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर शहर (अलवर)
4. श्री अंकित शुक्ला, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सम (जैसलमेर)
5. श्री राजेश कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जोधपुर शहर (जोधपुर)
6. श्री जगदीश प्रसाद मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सपोटरा (करौली)
7. श्री शक्ति सिंह कछवाहा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बीकानेर ग्रामीण (बीकानेर)

प्रशिक्षणार्थियों को टी.ए./डी.ए. का भुगतान उनकी पात्रता अनुसार संस्थान के नियमानुसार किया जाएगा जोकि भारत सरकार के अनुरूप हैं। नियमानुसार रेल किराया/बस किराए (एसी/डीलक्स कोच) की प्रतिपूर्ति टीए बिल के साथ टिकट का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही की जाएगी। हवाई यात्रा किराया : जो पात्र अधिकारी (5400/- रुपये या अधिकारी ग्रेड पे, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) हवाई जहाज द्वारा यात्रा करना चाहते हैं वे सिर्फ एयर इंडिया(इकोनोमी क्लास) द्वारा ही यात्रा करें और हवाई यात्रा की टिकटें सीधे एयरलाइन्स से (बुकिंग काउन्टर/एयरलाइन्स की वेबसाइट) अथवा प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों जैसे मै. बालमेर लॉरी एंड कंपनी, मै. अशोक ट्रेवल्स टूअर्स और आईआरसीटीसी से खरीदी जानी चाहिए। भारतीय रेलवे को दिया गया तत्काल शुल्क संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकेगा।


निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ. 7(6) निपसिड/नई दिल्ली/प्रशि./आईसीडीएस/16 25-41

जयपुर, दिनांक: 11/11/19

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), इन्सीट्यूट नं. 87, गुरुद्वारा के पास, सेक्टर- 79, एस. ए.एस. नगर, मौहाली-140308, पंजाब
2. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), नई दिल्ली
3. संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
4. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।


उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर